न्यायालय जिला कलक्टर, शाहपुरा

पीठासीन अधिकारी टीकम चन्द बोहरा (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 01/2023 अपील

1. मनीष पुत्र ओमप्रकाश बसेर निवासी पीपलून्द तहसील जहाजपुर जिला शाहपुरा।	बनाम	1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार जहाजपुर जिला शाहपुरा।
–अपीलार्थी		–रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय तहसीलदार जहाजपुर नामान्तरकरण संख्या 3998 दिनांक 13.07.2023

उपस्थित –

1. श्री राजेश वर्मा अधिवक्ता – अपीलार्थी की ओर से

न्यायालय जिला कलक्टर शाहपुरा (राज.)
सत्यमेव जयते

निर्णय

दिनांक : 05.01.2024

1. अपीलार्थी की ओर से यह अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध तहसीलदार जहाजपुर नामान्तरकरण संख्या 3998 दिनांक 13.07.2023 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा सरहद पीपलून्द पटवार हल्का पीपलून्द तहसील जहाजपुर वर्तमान जिला शाहपुरा की आराजी नम्बर 2339 रकबा 08 बीघा 14 बिस्वा (1.4085 हैक्टयर) मे से रकबा 2500 वर्गमीटर (0.25 हैक्टयर) भूमि वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ (पेट्रोल पम्प हेतु) सम्परिवर्तन करवाया गया था, सम्परिवर्तन का नामान्तरकरण दर्ज नहीं होने एवं भूमि धारक ओमप्रकाश बसेर के निधन होने व वारीसान द्वारा हक त्याग मनीष कुमार बसेर पुत्र ओमप्रकाश बसेर के पक्ष में करने से ग्राम पीपलून्द के आराजी नम्बर 2339 रकबा 1.4085 हैक्टयर मे से 0.25 हेक्टयर सम्परिवर्तन (पेट्रोल पम्प हेतु) का नामान्तरकरण मनीष कुमार बसेर के नाम पर दर्ज कराने हेतु आवेदन किया गया। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार, जहाजपुर द्वारा आदेश पारित फरमाते हुए नामान्तरकरण निरस्त फरमा दिया गया, जो विधि विरूद्व होने से अपास्त होने योग्य हैं। उक्त निर्णय की जानकारी अपीलार्थी को दिनांक 25.08.2023 को नकले प्राप्त होने पर हुयी। निर्णय दिनांक से अपील पेश करने में देरी के समय को कण्डोन किये जाने हेतु धारा 05 कानून मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से पेश कर निवेदन कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को अपास्त किया जाये।

2. प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 06.12.2023 को पंजीबद्ध की जाकर विपक्षी को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किया गया।

3. सर्वप्रथम अपील मेमों में अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम मियाद के बिन्दु पर विचार किया गया। अपीलार्थी ने मियाद के समर्थन मे शपथ पत्र पेश किया है। न्यायहित में नैसर्गिक न्याय सिद्धान्त को दृष्टिगत रखा जाकर अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करते हुये अपील अपीलार्थी मियाद में शुमार करने के आदेश दिये जाते हैं।

जिला कलक्टर
शाहपुरा

4. अपीलार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मेमों मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि उक्त वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ भूमि का नामान्तरकरण ओमप्रकाश बसेर (अपीलार्थी के पिता) के नाम पर नहीं खुलने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त नामान्तरकरण अपीलार्थी के नाम दर्ज नहीं किया गया। जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा ओमप्रकाश बसेर के पक्ष में जारी संपरिवर्तन आदेश क्रमांक 2019/2862 दिनांक 29.11.2019 की प्रति पालनार्थ पटवार हल्का पीपलून्द एवं तहसीलदार, जहाजपुर को प्रेषित करने के बावजूद नामान्तरकरण नहीं खोला गया। ओमप्रकाश बसेर की मृत्यु कोरोना काल में हुई थी एवं उनके वारिसान द्वारा हक त्याग अपीलार्थी के पक्ष में करने से ग्राम पीपलून्द के आराजी संख्या 2339 रकबा 1.4085 में से 0.25 हेक्टेयर सम्परिवर्तन (पेट्रोल पम्प हेतु) का नामान्तकरण अपीलार्थी के नाम पर दर्ज होना विधिसम्मत है। तहसीलदार (भू.अ.) जहाजपुर द्वारा स्वयं के आदेश क्रमांक/भू.अ/2023/1641 दिनांक 02.06.2023 के द्वारा पटवार हल्का पीपलून्द को नामान्तरणकरण दर्ज कर पालना हेतु लिखा गया, जिसकी पालना में नामान्तरकरण भरने के पश्चात तहसीलदार, जहाजपुर द्वारा दिनांक 13.07.2023 को उक्त नामान्तकरण संख्या 3998 खारिज फरमा दिया गया।

5. मामले तथ्यों का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया और अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया गया। जिसके उपरान्त पाया कि जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा ओमप्रकाश बसेर के पक्ष में जारी संपरिवर्तन आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार जहाजपुर को भेजी गई। परन्तु तहसीलदार, जहाजपुर द्वारा नामान्तरण नहीं खोला गया। साथ ही भूमि धारक ओमप्रकाश बसेर की मृत्यु हो जाने के पश्चात समस्त विधिक वारिसान द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में हक त्याग करने के उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जहाजपुर ने ग्राम पीपलून्द के आराजी संख्या 2339 रकबा 1. 4085 में से 0.25 हेक्टेयर सम्परिवर्तन (पेट्रोल पम्प हेतु) का नामान्तरकरण संख्या 3998 दिनांक 13.07.2023 खारिज किया जो कि विधि सम्मत नहीं है। उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील स्वीकार योग्य ठहरती है। अतएव–

आदेश

6. अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार, जहाजपुर द्वारा नामान्तकरण संख्या 3998 में दिनांक 13.07.2023 को पारित निर्णय को अपास्त किया जाता है तहसीलदार, जहाजपुर को प्रकरण रिमाण्ड कर आदेशित किया जाता है कि प्रकरण में सम्पूर्ण तथ्यों का विधिसम्मत परीक्षण कर गुणावगुण के आधार पर विस्तृत कारणों सहित पुनः आदेश पारित करें। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, जहाजपुर को पालनार्थ प्रेषित की जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 05.01.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर शाहपुरा (राज.)

(टीकम चन्द बोहरा)
जिला कलक्टर
शाहपुरा